मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल अंतर्गत समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालक के साथ दिनांक 13/01/2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--oo--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उपसंचालक के साथ दिनांक 13-01-2026 को पूर्वान्ह 12:00 बजे से म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के अपर प्रबंध संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक तथा समस्त आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त संचालक/उप संचालक उपस्थित रहे।

बैठक में निम्नानुसार बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

(1) लंबित विधानसभा आश्वासनों की समीक्षा:-

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय अंतर्गत लंबित विधानसभा आश्वासनों की शाखावार समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि नियमन शाखा के कुल 18, नवीन मंडी एवं प्रांगण शाखा के 08, शिकायत शाखा के 08, निर्माण के 04, स्थापना एवं वित्त शाखा के 01-01 आश्वासन लंबित पाए गए। साथ ही मृदा परीक्षण प्रयोगशाला क्रियाशीलता एवं संयुक्त संचालक कृषि विकासखण्ड श्योपुर की जांच के भी 01-01 आवश्वासन लंबित पाए गए। इस प्रकार कुल 42 आश्वासन लंबित पाए गए। समस्त लंबित आश्वासनों की प्रकरण वार समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण आंचलिक कार्यालय स्तर पर लंबित होने की स्थिति में अविलंब निराकरण कर मुख्यालय प्रेषित करें। संयुक्त संचालक (समन्वय) को निर्देशित किया गया कि मुख्यालय की संबंधित शाखाओं को सूचना जारी कर आश्वसानों के निराकरण हेतु बैठक आहूत करें। साथ ही मुख्यालय स्तर पर निर्देशित किया गया कि लंबित आश्वासन प्रकरणों में समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का निराकरण 31 जनवरी तक करावें ताकि आगामी विधानसभा सत्र में आश्वासन लंबित न रहें।

(2) सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा:-

सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज भावांतर भुगतान योजना से संबंधित एवं अन्य दर्ज शिकायतों की संभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि इंदौर संभाग अंतर्गत एल-1 पर 299, एल-2 पर 309, एल-3 पर 238 शिकायतें लंबित पाई गईं। एल-2 पर दर्ज 55 प्रकरणों पर कोई कार्यवाही नहीं होने/अटेंड न करने से सीधे एल-3 पर दर्ज हुई हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रकरण खंडवा एवं हरसूद मंडी के हैं, जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। दर्ज शिकायतें अटेंड न करने पर संबंधित से दाण्डिक राशि वसूल किए जाने का प्रावधान है। अतः आंचलिक अधिकारी इंदौर को

निर्देशित किया गया कि संबंधित को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करें। 31 जनवरी तक दर्ज समस्त शिकायतों का निराकरण कराने के निर्देश दिए गए।

भोपाल संभाग की समीक्षा में पाया गया कि संभाग अंतर्गत कुल 1981 प्रकरण दर्ज हैं। जिनमें एल-1 पर 457, एल-2 पर 835, एल-3 पर 647 एवं एल-4 पर 44 प्रकरण दर्ज हैं। संभाग अंतर्गत एल-2 पर 30 एवं एल-3 पर 13 प्रकरण अटैंड न किए जाने वाले पाए गए। भोपाल संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 10 से अधिक शिकायतों वाली मंडी समितियों की बैठक आयोजित कर प्रकरणवार निराकरण करावें। हेल्पलाईन पर दर्ज प्रकरणों को अटैंड न करने वालों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें।

उज्जैन संभाग की समीक्षा में पाया गया कि संभाग अंतर्गत कुल 1381 प्रकरण दर्ज हैं। जिनमें एल-1 पर 281, एल-2 पर 138 एवं एल-3 पर 963 प्रकरण दर्ज हैं। संभाग अंतर्गत एल-2 पर 19 एवं एल-3 पर 21 प्रकरण अटैंड न किए जाने वाले पाए गए। उज्जैन संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मंडी समितियों से एक कर्मचारी को कार्यालय में आहूत कर प्रकरणवार निराकरण करावें। हेल्पलाईन पर दर्ज प्रकरणों को अटैंड न करने वालों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें।

ग्वालियर संभाग की समीक्षा में पाया गया कि संभाग अंतर्गत कुल 98 प्रकरण दर्ज हैं। जिनमें एल-1 पर 35, एल-2 पर 16 एवं एल-3 पर 47 प्रकरण दर्ज हैं। ग्वालियर संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि संबंधित मंडी समितियों की प्रकरणवार समीक्षा कर दर्ज शिकायतों का निराकरण करावें।

जबलपुर संभाग की समीक्षा में पाया गया कि संभाग अंतर्गत कुल 46 प्रकरण दर्ज हैं। जिनमें एल-1 पर 09, एल-2 पर 24 एवं एल-3 पर 13 प्रकरण दर्ज हैं। जबलपुर संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मंडी समितियों से एक कर्मचारी को नियुक्त करते हुए प्रकरणवार निराकरण करावें।

सागर संभाग की समीक्षा में पाया गया कि संभाग अंतर्गत कुल 1079 प्रकरण दर्ज हैं। जिनमें एल-1 पर 297, एल-2 पर 418, एल-3 पर 363 एवं एल-4 पर 01 प्रकरण दर्ज हैं। संभाग अंतर्गत एल-2 पर 22 एवं एल-3 पर 11 प्रकरण अटैंड न किए जाने वाले पाए गए। सागर संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मंडी समितियों से एक कर्मचारी को कार्यालय में आहूत कर प्रकरणवार निराकरण करावें। हेल्पलाईन पर दर्ज प्रकरणों को अटैंड न करने वालों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें।

(3) <u>संभागवार आय एवं आवक की समीक्षा</u>:-

प्रदेश के समस्त संभागों की संभागवार प्रगामी आय एवं आवक की समीक्षा की गई। जिसमें पाया गया कि:-

भोपाल संभाग:- भोपाल संभाग की समीक्षा में पाया गया कि संभाग की प्रगामी आय में -5.98 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। संभाग की क वर्ग की कृषि उपज मंडी समितियों में पिपरिया, टिमरनी, बानापुरा, इटारसी, हरदा, विदिशा, बरेली, बैतूल एवं सीहोर की आय में अधिक कमी दर्ज हुई

है। अतः उक्त मंडी सचिवों को नोटिस जारी करते हुए मुख्यालय में समक्ष में आहूत करने के निर्देश दिए गए। भोपाल संभाग की आय में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के निर्देश दिए गए थे, समीक्षा में पाया गया कि संभाग -20.08 प्रतिशत लक्ष्य से पीछे है। अतः संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आय में वृद्धि कराते हुए निर्धारित लक्ष्य की समय-सीमा में पूर्ति करावें।

इंदौर संभाग:- इंदौर संभाग की समीक्षा में पाया गया कि संभाग की प्रगामी आय में -7.21 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। संभाग की क वर्ग की कृषि उपज मंडी समितियों में इंदौर मंडी की आय में -36.37 प्रतिशत की कमी आई है। संभाग की आय में कमी वाली मंडियों में बुरहानपुर, हरसूद, अंजड, बडवाह, पंधान, जोबट एवं थांदला दर्ज हुई है। अतः उक्त मंडी सचिवों को नोटिस जारी करते हुए मुख्यालय में समक्ष में आहूत करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा में पाया गया कि संभाग आय के निर्धारित लक्ष्य से -25.50 प्रतिशत पीछे है। अतः संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त मंडी समितियों की बैठक आहूत कर आय में वृद्धि कराते हुए निर्धारित लक्ष्य की समय-सीमा में पूर्ति करावें।

उज्जैन संभाग:- उज्जैन संभाग की समीक्षा में पाया गया कि संभाग की प्रगामी आय में -2.71 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। संभाग की क वर्ग की कृषि उपज मंडी समितियों में मंदसौर, रतलाम, शुजालपुर, जावरा एवं देवास की आय में कमी दर्ज हुई है। अतः उक्त मंडी सचिवों को नोटिस जारी करते हुए मुख्यालय में समक्ष में आहूत करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा में पाया गया कि संभाग आय के निर्धारित लक्ष्य से -16.19 प्रतिशत पीछे है। अतः संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि कार्य योजना तैयार कर आय में वृद्धि कराते हुए निर्धारित लक्ष्य की समय-सीमा में पूर्ति करावें।

ग्वालियर संभाग:- ग्वालियर संभाग की समीक्षा में पाया गया कि कृषि उपज मंडी समिति आरोन की आय में -19.23 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। संभाग की अन्य मंडी समितियों में गुना, अशोकनगर, लश्कर, कुंभराज, कोलारस इत्यादि की आय में भी कमी दर्ज हुई। अतः उक्त मंडी सचिवों को नोटिस जारी करते हुए मुख्यालय में समक्ष में आहूत करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा में पाया गया कि संभाग आय के निर्धारित लक्ष्य से -5.65 प्रतिशत पीछे है। अतः संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि कार्य योजना तैयार कर आय में वृद्धि कराते हुए निर्धारित लक्ष्य की समय-सीमा में पूर्ति करावें।

जबलपुर संभाग:- जबलपुर संभाग की समीक्षा में पाया गया कि संभाग की प्रगामी आय में -13.72 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। संभाग की क वर्ग की मंडी समितियों में जबलपुर, छिंदवाड़ा एवं सिहोरा की आय में अत्यधिक कमी हुई है। अतः उक्त मंडी सचिवों को 02 दिवस पश्चात मुख्यालय में समक्ष में आहूत करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा में पाया गया कि संभाग आय के निर्धारित लक्ष्य से -25.04 प्रतिशत पीछे है। अतः संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि कार्य योजना तैयार कर आवक बढ़ाने पर जोर दिया जाकर आय में वृद्धि कराते हुए निर्धारित लक्ष्य की समय-सीमा में पूर्ति करावें।

सागर संभाग:- सागर संभाग की मंडी समितियों में जैसीनगर, केसली, अजयगढ़, पलेरा, लवकुशनगर एवं रहली की आय में कमी हुई है। समीक्षा में पाया गया कि संभाग आय के निर्धारित लक्ष्य से -12.54 प्रतिशत पीछे है। अतः संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि कार्य योजना तैयार कर आय में वृद्धि कराते हुए निर्धारित लक्ष्य 20 प्रतिशत की पूर्ति करावें।

रीवा संभाग:- रीवा संभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि कार्य योजना तैयार कर आय में वृद्धि करने के सतत प्रयास करें।

(4) फ्लाईंग स्क्वाड की समीक्षा:-

प्रदेश के समस्त संभागों के फ्लाईंग स्क्वाड की समीक्षा की गई। ग्वालियर संभाग की समीक्षा में पाया गया कि फ्लाईंग स्क्वाड द्वारा विगत 01 माह में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त दल के अधि/कर्मचारियों से जबाव प्राप्त कर वेतन रोकने की कार्यवाही की जावे।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-

- कृषि वर्ष 2026 में प्रदेश की समस्त 298 उप मंडियों को ई-मंडी के रूप में विकसित किए जाने की कार्यवाही के लिए शासन स्तर से निर्देश दिए गए हैं। अतः समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उप मंडियों में ई-मंडी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां करावें।
- समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के स्वत्वों, पेंशन एवं अनुकंपा प्रकरणों आदि के निराकरण में किसी भी प्रकार से विलंब न करें। आवश्यक कार्यवाही की जाकर प्रकरण अविलंब मुख्यालय प्रेषित करें।
- रीवा, सागर एवं इंदौर संभाग की मंडी समितियों द्वारा ई-नेम पोर्टल पर एंट्री नहीं की जा रही हैं। अतः समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ई-नेम पोर्टल पर एंट्री दर्ज कराई जावे।

(धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समीक्षा बैठक संपन्न हुई।)

Digitally signed by
Kumar Purushottam
Date: 23-01-2026
16:06:06

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समीक्षा बैठक/जनवरी/2026/2373 भोपाल,दिनांक 27/01/2026

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. निज सहायक, अपर प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. अपर संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक/सहायक यंत्री (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
6. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।
7. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल